संख्या : 2-सात-ई/XXXVI(1)/2006-1-सात-ई/02

प्रेषक,

यू०सी०ध्यानी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तरांचल शासन, देहरादून ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा० उत्तरांचल उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2 देहरादून : दिनांक : १८ फरवरी, 2006

विषय: जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील कीर्तिनगर में स्थापित सिविल जज(जू.डि.) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 4-सात-ई/छत्तीस(1)/न्याय अनुभाग/2005, दिनांक 1.4.2005 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम राज्यपाल जिला टिहरी गढ़वाल की तहसील कीर्तिनगर में स्थापित सिविल जज(जू.डि.) के न्यायालय हेतु शासनादेश संख्या 2-सात-ई/न्या. अनु./2004, दिनांक 29.3.2004 द्वारा सृजित सभी अस्थायी पदों के कार्यकाल को वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन यदि वे बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाए दिनांक 1.3.2006 से 28.2.2007 तक बढ़ाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2. उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के लेखाशीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन न्यायाधीश-00" के नामें डाला जायेगा ।

भवदीय,

(यू०सी०ध्यानी)
सचिव ।

संख्या: 2-सात-ई/XXXVI(1)/2006-1-सात-ई/02-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एंव हकदारी) उत्तराचंल, माजरा, देहरादून ।
2. जिला जज/जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी टिहरी गढ़वाल ।
3. न्यायाधीश, सिविल जज(जूनियर डिविजन), कीर्तिनगर ।
4. वित्त अनुभाग-5/नियुक्ति अनुभाग/एन.आई.सी./गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
अनुसचिव ।